भाग–III

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 मार्च, 2021

संख्या का०आ० 14/ह०अ० 11/1994/धा० 209/2021.– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11) की धारा 209 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, बनाने का प्रस्ताव करते हैं तथा उक्त अधिनियम की धारा 209 की उपधारा (3) द्वारा यथापेक्षित इसके द्वारा, उन व्यक्तियों की जानकारी के लिये, प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् सरकार, नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हो, सहित जो अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जायें, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2021, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"5 निदेशक, उपायुक्त तथा उप–मण्डल अधिकारी (नागरिक) की आरक्षित सीटें अवधारित करने की शक्ति.– (1) प्रत्येक स्तर की पंचायत के वार्डों को दो समूहों में विभाजित किया जाएगा अर्थात् एक अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों के लिए और दूसरा शेष, अन्य सीटों के लिए। प्रत्येक समूह को नियम 4 के उप–नियम (4) के अधीन दी गई वार्डों की क्रम संख्या को आरोही क्रम के आधार पर क्रमिक रूप से अलग अलग अनुक्रमांकित किया जाएगा।

(2) ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के वार्डों की अनुक्रमिक संख्या संबंधित उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) और जिला परिषद् के वार्डों की सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा दी जाएगी। अनुक्रमिक संख्याओं की ऐसी सूची उक्त प्राधिकारियों द्वारा संबंधित पंचायत क्षेत्र में किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकाई जाएगी।

(3) किसी वार्ड को दी गई क्रम संख्या और अनुक्रमिक संख्या को तब तक नहीं बदला जाएगा जब तक दशकीय जनगणना या किसी अन्य कारण से पंचायत में वार्डों की संख्या में वृद्धि या कमी नहीं की जाती है। एक पंचायत के वार्डों की संख्या में वृद्धि या कमी के मामले में, पहले से ही दी गई वार्ड की क्रम संख्या और अनुक्रमिक संख्या उस समय तक बनी रहेगी जब तक उस मूल वार्ड के मतदाताओं की बहुसंख्या उस वार्ड में बनी रहती है, और नये गठित वार्ड को नई क्रम संख्या तथा अनुक्रमिक संख्या जैसी भी स्थिति हो, दी जायेगी।

(4) वार्ड या वार्डों जिनमें सीट अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग (ए) के सदस्यों के लिए आरक्षित की जाएगी, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के मामले में उन्हें संबंधित उप मंडल अधिकारी (नागरिक) द्वारा और जिला परिषद् के मामले में उपायुक्त द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(5) अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों की अधिकतम जनसंख्या के अवधारण के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में उनकी जनसंख्या की प्रतिशतता को विचारा जाएगा।

(6) अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड के अवधारण के बाद ही पंचायत समिति और जिला परिषद के मामले में पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए तथा ग्राम पंचायत के मामले में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने वाले वार्ड या वार्डों का निर्धारण किया जाएगा और पिछड़े वर्गों (ए) के लिए वार्डों के निर्धारण के लिए अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों को ड्रॉ से बाहर रखा जाएगा।

(7) (क) अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए लॉट द्वारा वार्डों के आंबटन के प्रयोजन के लिए संबन्धित उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) या उपायुक्त, जैसी भी स्थिति हो, किसी सहजदृश्य स्थान और सम्बन्धित पंचायत समिति या जिला परिषद, जैसी भी स्थिति हो, के मुख्यालय पर नोटिस, ऐसे नोटिस में कार्यालय का नाम और विनिर्दिष्ट तिथि और समय और जो व्यक्ति ड्रा ऑफ लॉटस साक्षी के रूप में उपस्थित है, का विवरण देते हुये प्रदर्शित करेगा।

(ख) उप–नियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाहियां अभिलिखित और हस्ताक्षरित की जाएंगी। लॉट निकालने का साक्ष्य करने वाले कम से कम दो गैर–सरकारी व्यक्तियों के उनके पते के साथ ऐसी कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर तथा अंगूठे की छाप भी ली जाएंगी।

(ग) आरक्षण स्कीम और लॉट निकालने के अनुसार, नियम 4 के उप–नियम (9) के अधीन सूची के प्रकाशन के सात दिन के भीतर विशिष्ट वार्डों को सीटें आबंटित की जाएगी तथा इस प्रकार आरक्षित वार्डों की अंतिम सूची विधिवत प्रकाशित की जाएगी।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"6(1) प्रत्येक स्तर की पंचायतों को दो समूहों में विभाजित किया जाएगा अर्थात् एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों के लिए और दूसरा शेष अन्य सीटों के लिए। प्रत्येक समूह को अधिनियम की धारा 8, 57 तथा 119 के अधीन यथा अधिसूचित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों, जैसी भी स्थिति हो, के नामों को अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, अलग–अलग अनुक्रमांकित किया जाएगा।

(2) ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की अनुक्रमिक संख्या निदेशक द्वारा नियत की जाएगी।

(3) ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की संख्या में वृद्धि के मामले में, प्रत्येक स्तर की पंचायत को सौंपी गई अनुक्रमिक संख्या को नहीं बदला जाएगा और नव सृजित पंचायत को कोई नई अनुक्रमिक संख्या सौंपी जाएगी जिसे ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों, जैसी भी स्थिति हो, की उस अनुक्रमिक संख्या के अन्त में जोड़ा जाएगा। तथापि पंचायत के किसी भी स्तर पर पंचायतों की संख्या में कमी के मामले में, अनुक्रमिक संख्या को खाली रखा जाएगा।

(4) अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित की जाने वाली ग्राम पंचायतों में सरपंचों, पंचायत समितियों में अध्यक्षों और जिला परिषदों में प्रधानों के लिए सीटें निदेशक द्वारा अवधारित की जाएंगी।

(5) ग्राम पंचायतों में सरपंचों के लिए, पिछड़े वर्ग (ए) के सदस्यों के लिए आरक्षित की जाने वाली सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर, संबंधित उप मंडल अधिकारी (नागरिक) द्वारा चक्रानुक्रम द्वारा अवधारित की जाएंगी।

(6) सरपंच, ग्राम पंचायत, अध्यक्ष, पंचायत समिति और प्रधान, जिला परिषद के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों को विभिन्न ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों, जैसी भी स्थिति हो, में यथानुक्रमित किया जाएगा, किसी भी स्तर की पंचायत अनुसूचित जातियों की जनसंख्या पंचायत की कुल जनसंख्या का दस प्रतिशत से अधिक की सूची अधिनियम के लागू होने के बाद पंचायत को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किये जाने की संख्या के आधार पर आरोही क्रम में तैयार की जाएगी। ऐसी प्राथमिकता वाली पंचायतों को उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के प्रतिशतता के आधार पर अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। पंचायतों की शीर्ष सूचीबद्ध अपेक्षित संख्या इस प्रकार तैयार की गई सूची की क्रम संख्या के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगी:

परन्तु अधिनियम के प्रारम्भ होने से अनुसूचित जातियों के लिए कम से कम बार आरक्षित या अनारक्षित हुई पंचायतों और अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अधिकतम प्रतिशतता वाली पंचायतें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की जाएंगी।

(7) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से संबंधित अधिकतम जनसंख्या के अवधारण के प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत में उनकी जनसंख्या के प्रतिशत पर विचार किया जाएगा।

(8) लॉट निकालने के लिए निर्धारित रीति में उप–नियम (4) में वर्णित प्राधिकारियों द्वारा लॉट निकालने से कम से कम सात दिन पूर्व एक नोटिस चिपकाया जाएगा, जिसमें लॉट निकालने का स्थान, तिथि तथा समय वर्णित होगा, अर्थात्:–

(1) ग्राम पंचायत की दशा में, नोटिस निम्नलिखित में प्रदर्शित किया जाएगा, –

(क) संबंधित खंड विकास और पंचायत अधिकारी के कार्यालय में;

(ख) उस तहसीलदार के कार्यालय में, जिसमें खण्ड पड़ता है;

(ग) संबंधित पंचायत समिति के कार्यालय में; और

(घ) संबद्ध खण्ड के भीतर प्रत्येक ग्राम पंचायत के कार्यालय में;

(2) पंचायत समिति की दशा में, नोटिस निम्नलिखित में प्रदर्शित किया जाएगा, –

(क) निदेशक के कार्यालय में;

(ख) उपायुक्त के कार्यालय में;

(ग) संबंद्ध जिला परिषद् के कार्यालय में; और

(घ) जिले के भीतर सभी पंचायत समितियों के कार्यालय में; और

(3) जिला परिषद् की दशा में, नोटिस निम्नलिखित में प्रदर्शित किया जाएगा,–

(क) निदेशक पंचायत, हरियाणा के कार्यालय में;

(ख) सभी मण्डल आयुक्तों के कार्यालय में;

(ग) सभी जिला परिषदों के कार्यालय में; और

(घ) सभी उपायुक्तों के कार्यालय में।

(9) लॉट निकालने और उसकी कार्यवाहियां अभिलिखित करने संबंधी प्रक्रिया वही होगी जो नियम 5 के उपनियम (7) में दी गई है।

(10) पंचायत के प्रत्येक स्तर पर लॉट निकालने के बाद, अनुसचित जातियों, पिछड़े वर्ग (ए) तथा महिलाओं के लिए इस प्रकार आरक्षित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की सूची, उसके पश्चात् उप–नियम (4) तथा (5) में यथावर्णित प्राधिकारी द्वारा तुरंत प्रकाशित करवाई जाएगी।"।

अमित झा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 18th March, 2021

No. S.O.14/H.A.11/1994/S.209/2021.— The following draft of the rules further to amend the Haryana Panchayati Raj Election Rules, 1994, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 209 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (11 of 1994), are hereby published as required by sub-section (3) of section 209 of the said Act for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the following draft of the rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of ten days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Development and Panchayats Department, Chandigarh, from any person in respect to the draft of the rules before the expiry of the period so specified.

Draft Rules

1. These rules may be called the Haryana Panchayati Raj Election (Amendment) Rules, 2021.

2. In the Haryana Panchayati Raj Election Rules, 1994 (hereinafter called the said rules), for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:-

"5. Power of Director, Deputy Commissioner and Sub-Divisional Officer (Civil) to determined reserved seats.- (1) The wards at each level of panchayat shall be divided in two groups i.e. one for the seats reserved for Scheduled Castes and another for the remaining seats. Each group shall be sequentially numbered on the basis of ascending order of serial number of wards assigned under sub-rule (4) of rule 4.

(2) The sequential number of wards of a Gram Panchayat and Panchayat Samiti shall be assigned by the Sub Divisional Officer (Civil) concerned and of wards of Zila Parishad shall be assigned by the Deputy Commissioner concerned. Such list of sequential numbers shall be affixed at a conspicuous place in the concerned panchayat area by the said authorities.

(3) The serial number and the sequential number assigned to a ward shall not be changed until and unless the number of wards in a Panchayat are increased or decreased on account of decennial census or for any other reason. In case of increase or decrease in the number of wards of a panchayat, the already assigned serial number and the sequential number of a ward shall remain same till the time majority of voters of that original ward continue to reside in that very ward and the newly created ward shall be given a new serial number and sequential number, as the case may be.

(4) A ward or wards in which seat shall be reserved for members of Scheduled Castes or Backward Classes or Backward Classes (A), the same shall be determined by the Sub-Divisional Officer (Civil) concerned in case of Gram Panchayat and Panchayat Samiti and by the Deputy Commissioner in case of Zila Parishad.

(5) For the purpose of determination of maximum population of the persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes, the percentage of their population in each ward shall be considered.

(6) A ward or wards to be reserved for Backward Classes in the case of Gram Panchayat and for Backward Classes (A) in the case of Panchayat Samiti and Zila Parishad shall be determined only after the determination of ward reserved for Scheduled Castes and these wards reserved for Scheduled Castes shall be excluded from the draw of lots for determination of wards for Backward Classes (A).

(7) (a) For the purpose of allotting wards by lots for Backward Classes (A), the Sub-Divisional Officer (Civil) concerned or the Deputy Commissioner, as the case may be, shall publish a notice by affixation at a conspicuous place and at the headquarter of the concerned Panchayat Samiti and Zila Parishad, as the case may be, stating that the lots shall be drawn in the office to be named in such notice and on the date and time specified therein before the persons who are present to witness the draw of lots.

(b) The proceedings shall be recorded in writing and signed by the authorities specified under sub rule (4). Signature and thumb impression of at least two non-official persons along with their addresses witnessing the draw of lots shall also be obtained on such proceedings.

(c) The seats shall be allotted to specific wards within seven days of the publication of list under sub-rule (9) of rule 4 and the list of final wards so reserved shall be duly published.''.

3. In the said rules, for rule 6, the following rule shall be substituted, namely :-

"6(1) The panchayats at each level shall be divided in two groups i.e. one for the seats reserved for Scheduled Castes and another for the remaining seats. Each group shall be sequentially numbered on the basis of English alphabetical order of names of Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishads, as notified under section 8, 57 and 119 of the Act, as the case may be.

(2) The sequential number to Gram Panchayats, Panchayat Samitis and Zila Parishads shall be assigned by the Director.

(3) In case of increase in the number of Gram Panchayats, Panchayat Samitis and Zila Parishads, the sequential number assigned to a Panchayat at each level shall not be changed and a new sequential number shall be assigned to the newly created panchayat which shall be added at the end of that sequential numbering of the Gram Panchayats, Panchayat Samitis and Zila Parishads, as the case may be. However, in case of decrease in the number of Panchayats at any level of Panchayat, the sequential number shall be kept vacant.

(4) Seats for Sarpanches in Gram Panchayats, Chairperson in Panchayat Samitis and Presidents in Zila Parishads to be reserved for members of Scheduled Castes shall be determined by the Director.

(5) Seats for Sarpanches in Gram Panchayats to be reserved for members of Backward Classes (A) by draw of lots shall be determined by rotation by the concerned Sub-Divisional Officer (Civil) after excluding the seats reserved for scheduled castes.

(6) Seats for Sarpanch, Gram Panchayat, Chairman, Panchayat Samiti and President, Zila Parishad reserved for Scheduled Castes shall be rotated to different Gram Panchayats, Panchayat Samitis and Zila Parishads, as the case may be. List of Panchayats at any level having population of Scheduled Castes more than ten percentage of the total population of the panchayat shall be prepared in ascending order of the number of times the panchayat has been reserved for Scheduled Castes after the enforcement of the Act. Such panchayats within their categories shall further be listed in descending order of percentage of population of scheduled castes in that panchayat area. The requisite number of panchayats shall be reserved for Scheduled Castes as per the serial number of the list so prepared:

Provided that the Panchayats least number of times reserved or never reserved for Scheduled Castes since the commencement of the Act and having maximum percentage of Scheduled Castes population shall be reserved for Scheduled Castes.

(7) For the purpose of determination of maximum population of the persons belonging to Scheduled Castes, the percentage of their population in each Panchayat will be considered.

(8) For the purpose of draw of lots, a notice in which the place, date and time for drawal of lots has been described, shall be affixed at least seven days before the draw of lots by the authorities described in sub-rule (4) in the following manner, namely:-

(1) In case of Gram Panchayat, the notice shall be exhibited, –

(a) in the office of concerned Block Development and Panchayat Officer;

(b) in the office of the Tehsildar within which block lies;

(c) in the office of concerned Panchayat Samiti; and

(d) in every Gram Panchayat within the block concerned;

(2) In case of Panchayat Samiti, the notice shall be exhibited, –

(a) in the office of the Director;

(b) in the office of the Deputy Commissioner;

(c) in the office of concerned Zila Parishad; and

(d) in the office of all Panchayat Samitis within the district; and

(3) In case of Zila Parishad, the notice shall be exhibited, -

(a) in the office of the Director, Panchayats, Haryana;

(b) in the offices of all the Divisional Commissioners;

(c) in the office of all the Zila Parishads; and

(d) in the offices of all the Deputy Commissioners.

(9) The procedure regarding draw of lots and recording of the proceedings thereof shall be the same as laid down in sub-rule (7) of rule 5.

(10) After draw of lots at each level of Panchayat, the list of Gram Panchayats, Panchayat Samitis and Zila Parishads so reserved for Scheduled Castes, Backward Classes (A) and women shall be published thereafter immediately by the authority as mentioned in sub-rule (4) and (5).".

AMIT JHA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Development and Panchayats Department.

9118—L.R.—H.G.P., Pkl.